THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/547

दिनांक: 02.11.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सुझावों के लिए अनुरोध – केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सीमा शुल्क छूट/रियायती दरों की समीक्षा

भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने केंद्रीय बजट 2027-28 की प्रक्रिया के तहत अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क के अंतर्गत सीमा शुल्क रियायतों/छूटों की राजस्व विभाग द्वारा की जा रही समीक्षा के संबंध में सुझावों का अनुरोध किया है।

इस समीक्षा में अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क के तहत सशर्त छूट प्रविष्टियों के साथ-साथ अन्य स्वतंत्र छूट अधिसूचनाओं को भी शामिल किया गया है।

समीक्षा के लिए निर्धारित छूटों की सूची निम्नलिखित रूप में संलग्न है:

- **परिशिष्ट I:** वैधानिक समीक्षा : https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20261102031824.docx
- **परिशिष्ट II:** बिना शर्त छूट: https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20261102031914.docx

वैधानिक समीक्षा में **31 मार्च 2027 / 30 सितंबर 2027** को समाप्त होने वाली रियायतें शामिल हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित प्रविष्टियों की जांच करें और इस बारे में अपने विचार साझा करें कि क्या छूट/रियायती दरों को **जारी रखा जाना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए या समाप्त होने दिया जाना चाहिए** ।

जहां निरंतरता की सिफारिश की जाती है, वहां सदस्यों से अनुरोध है कि वे घरेलू उत्पादन, आयात, मौजूदा क्षमता, नियोजित निवेश आदि से संबंधित प्रासंगिक आंकड़ों द्वारा समर्थित विस्तृत औचित्य प्रदान करें, जिसमें संलग्न अनुलग्नकों में उत्पाद विवरण, एचएस कोड और संबंधित सीरियल नंबर स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हों।

आप अपने सुझाव **bharti@plexconcil.org** **या** **shilpa@plexconcil.org** पर **4 नवंबर 2026** तक भेज सकते हैं, ताकि परिषद उद्योग से प्राप्त सुझावों को एकत्रित करके समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सके।

आपकी समय पर प्रतिक्रिया से हमें सरकार को उद्योग समर्थित सिफारिश का मसौदा तैयार करने में मदद मिलेगी।

साभार

भारती परवे

निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल